न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 183/2025(GCMS : 2025/276)

बलवन्त राम पुत्र मोहनाराम जाति कम्बोज आयु 60 वर्ष निवासी 1 के एम तहसील पूगल जिला बीकानेर

बनाम

1. **संदीप काकड़, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़**
2. **राकेश कुमार** पुत्र सुभाष चन्द जाति बिश्नोई निवासी 2 बीएनपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **सुभाष चन्द्र** पुत्र हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी 2 बीएनपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **दलीपराम** पुत्र हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी 2 बीएनपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये **तहसीलदार (भू.अ.),** सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.07.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता श्री बलवन्त बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी बलवन्त राम ने जरिये अधिवक्ता यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 107/2025 अनवानी राकेश कुमार वगै. बनाम राजस्थान सरकार कदीमी (पुराना) रास्ता प्रकरण में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण प्रकरण को खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 107/2025 अनवानी राकेश कुमार वगै. बनाम राजस्थान सरकार कदीमी (पुराना) रास्ता प्रकरण में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:45 IST
Reason: SelfAttested